जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.210)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी–945 दिनांक : 19.4.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	210.1	कार्यकारी समिति की 209 वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	210.2	कार्यकारी समिति की 209 वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 20.02.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	210.3	ग्राम पीथावास, तहसील जयपुर में सेक्टर 54 की 60 मीटर सेक्टर सडक मय सीवरेज लाईन हेतु अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 6 (40) नविवि/ 2008 दिनांक 03.12.2015 में दिए गए निर्देशानुसार खातेदारान श्री हिमांशु खन्ना, श्री अंशुमान खन्ना पुत्र श्री पी. एन. खन्ना तथा श्रीमती मंजू कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन खातेदारों द्वारा अपनी	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			भूमि निःशुल्क समर्पित की गई है उन सभी प्रकरणों को अवाप्ति से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे।	
4.	210.4	आनंद विहार आवासीय योजना में भूखण्ड सं. 778 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आनंद विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 778 के आवंटी द्वारा नज़राना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि पश्चात जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12
5.	210.5	सांगानेर फ्लाई ओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर टोंक रोड की बायी तरफ सर्विस सड़क पर स्थित दुकान एवं अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुये व्यक्तियों को मुआवजा व भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात सांगानेर फ्लाई ओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर टोंक रोड की बायीं तरफ सर्विस सड़क पर स्थित दुकान एवं अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुये व्यक्तियों को मुआवजा व भूखण्ड दिये जाने की सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिए गए कि प्रकरण को विस्तृत प्रस्ताव के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन-9
6.	210.6	6000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का 200 फीट सेक्टर रोड में समर्पण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात इस प्रकरण को Defer करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम आस-पास की भूमि की	उपायुक्त जोन-8

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			Planning के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर लिया जावे एवं साथ ही सड़क की महत्वता एवं तुरन्त निर्मित करने की आवश्यकता का आकलन कर प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।	
7.	210.7	जयपुर विकास प्राधिकरण के परिपत्र कमांकः जविप्रा/अति.मु.अभि/II/2015/ डी-525 दिनांक 04.12.2015 अन्तर्गत सेक्टर सडकों के लिये भूमि समर्पण एवं मुआवजे के भुगतान हेतु मानक प्रक्रिया के निर्धारण बाबत परिपत्र बाबत परिपत्र के बिन्दु संख्या 9 के कम में।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उल्लेखित भूमि के आस-पास अवस्थित सभी खातेदारों की भूमि समर्पित हो जाने के पश्चात ही प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्तमान में किसी भी जोन को निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि उनके ज़ोन में अब तक कौन-कौनसी भूमि किन-किन खातेदारों द्वारा किस-किस स्थान पर किस कारण से समर्पित की गई है, एवं इस समर्पित भूमि के बदले ज़ोन द्वारा भूखण्ड अथवा मुआवज़ा किस रूप में कहां दिया गया है। इस स्थिति को गम्भीरता से लिया गया तथा यह निर्देश दिए गए कि सिस्टम एनालिस्ट, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक	उपायुक्त जोन-9 निदेशक (नगर आयोजना) अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) समस्त जोन उपायुक्त सिस्टम एनालिस्ट

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			module विकसित किया जावे जिसमें सभी ज़ोन्स में समर्पित की गई भूमि को चिन्हित कर एक लैण्ड बैंक के रूप में उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे यह सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण की intranet पर सभी अधिकारियों द्वारा access किया जा सके। यह भी निर्देश दिए गए कि अब तक समर्पित की गई भूमियों का सम्पूर्ण ब्यौरा भी इस module में उपलब्ध हो। इन समर्पित भूमियों को Google Earth पर विस्तृत तथ्यों के साथ दर्शाने के लिए निदेशक (नगर आयोजना) को प्रेषित किया जावे ताकि समर्पित भूमियों की स्पष्ट स्थिति online उपलब्ध हो सके। सभी जोन उपायुक्त उनके ज़ोन में अब तक समर्पित की गई भूमियों का विस्तृत विवरण सिस्टम एनालिस्ट, जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाएंगे। यह सम्पूर्ण कार्य आगामी 15 दिवस में अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) के निर्देशन में करवाया जाकर इसकी रिपोर्ट आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।	
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
8.	210.8	ग्राम बूडथल तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 625 व 628 गैर मु. आबादी	विचार-विमर्श पश्चात ग्राम बूडथल तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 625	उपायुक्त जोन-9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		भूमि में श्री जगदीश नारायण व कजोड़मल पुत्रान स्व. श्री रतन लाल मीणा को ग्राम पंचायत बूड़थल द्वारा को जारी किये गये पट्टों के बदले भूखण्ड आवंटन बाबत।	व 628 गैर मु. आबादी भूमि में श्री जगदीश नारायण व कजोड़मल पुत्रान स्व. श्री रतन लाल मीणा को ग्राम पंचायत बूड़थल द्वारा जारी किये गये पट्टों का सत्यापन विकास अधिकारी बस्सी द्वारा कर लिए जाने एवं इन भूखण्डों के रिंग रोड में आने के फलस्वरुप इन भूखण्डों के बदले भूखण्ड आवंटन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावें।	
9.	210.9	बालाजी ग्रीन्स की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ई-27 के नियमितीकरण करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात बालाजी ग्रीन्स की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ई-27 लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
10.	210.10	जविप्रा जोन–8 क्षेत्र में Construction of road and drains in approved colonies Sanganer Zone&8 JDA Jaipur. की निविदा अनुमोदन हेतु।	विचार–विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन–8 के क्षेत्र में "Construction of Service road ROB Jagatpura to NRI Circle, Zone-9, JDA, Jaipur". के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में मैसर्स हनुमान प्रसाद शर्मा के पक्ष में राशि रूपए 2,08,11,812.00 के जारी किए गए कार्यादेश दिनांक 05.04.2017 की पुष्टि करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
11.	210.11	Ratification of Bid Document for the work of "Construction of Underpass to connect the SMS Hospital & Trauma Centre (ITO) at Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Underpass to connect the SMS Hospital & Trauma Centre (ITO) at Jaipur" के सम्बन्ध में एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार बिड डॉक्यूमेंट में किए गए मोडिफिकेशन अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम
12.	210.12	For cancellation tender for "Construction of shopping complex I & II and Community hall cum women's training center" Under Rajeev Awas Yojana in Kiron Ki Dhani, Muhana, Sanganer, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of shopping complex I & II and Community hall cum women's training center" Under Rajeev Awas Yojana in Kiron Ki Dhani, Muhana, Sanganer, Jaipur के सम्बन्ध में जारी की गई निविदा को एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय	निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस निविदा के लिए पूर्व में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि को Lock किया जावे।	
13.	210.13	Approval of cancellation of Tender for the work: Rate Contract for Construction of Internal Bituminous Roads in Various Co-operative Schemes of Zone-17, JDA, Jaipur Phase-II.	विचार–विमर्श पश्चात "Rate Contract for Construction of Internal Bituminous Roads in Various Co-operative Schemes of Zone-17, JDA, Jaipur Phase-II" के सम्बन्ध में जारी की गई निविदा को एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस निविदा के लिए पूर्व में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि को Lock किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
14.	210.14	Regarding Ratification & Ex-post facto approval of RFP documents and approval of tender for the Work of "Providing services of Platform / Solution of AAA & Monetization for Public Wi-Fi Hotspots & Interactive Information Kiosks and posters / wrap around REGS installed in Jaipur City by JDA for a period of 5 year"	विचार–विमर्श पश्चात "Providing services of Platform/Solution of AAA & Monetization for Public Wi-Fi Hotspots & Interactive Information Kiosks and posters/wrap around REGS installed in Jaipur City by JDA for a period of 5 year" के लिए एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार RFP document के अनुमोदन एवं M/s iLeads Business Advisory LLP, Ahmedabad के पक्ष में जारी कार्यादेश दिनांक 24.03.2017 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय
15.	210.15	जविप्रा की बक्सावाला योजना में निर्मित ई.डब्ल्यू.एस./ एल.आई.जी. के	विचार–विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की बक्सावाला योजना में	उपायुक्त जोन–14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		आवासों की बकाया किश्तें समय पर जमा नहीं होने पर आवासों के आवंटन नियमितीकरण बाबत।	आवंटित आवासों की मासिक किश्तें समय पर जमा नहीं कराने के कारण नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी लेकर आवासों का आवंटन बहाल/नियमितीकरण करने एवं निर्मित आवासों का पंजीकृत व अपंजीकृत दस्तावेज़ों के आधार पर नाम हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों को नियमितीकरण की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	
16.	210.16	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रूपये 200.00 करोड़ के ओवरड्राफ्ट लिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बैंकों से राशि रूपये 200.00 करोड़ के ओवरड्राफ्ट लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
17.	210.17	Agenda Regarding Approval of Tender for the work "Construction of Two layers WBM for internal and low height compound wall at corner edges for facilities and scheme plots at the perephary of Scheme New JDA Residential Scheme Pannadhay Nagar at Begas, Zone 12, JDA, Jaipur" For time out of tender expiry date RTPP act 2013.	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Two layers WBM for internal and low height compound wall at corner edges for facilities and scheme plots at the perephary of Scheme New JDA Residential Scheme Pannadhay Nagar at Begas, Zone 12, JDA, Jaipur" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता M/s Marwar Matels Pvt. Ltd. के	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			पक्ष में "G-Shedule based on JDA BSR 2016" पर 33.68% कम दर पर राशि रूपए 1,76,90,607.52 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	
18.	210.18	जविप्रा की भूमि स्थित ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान 2904 क्षेत्रफल 13042.63 वर्गमीटर ख.नं. 2890 क्षेत्रफल 60512.26 वर्गमीटर ख. नं. 2901 क्षेत्रफल 1879.68 व. मी. कुल क्षेत्रफल 75440.57 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि स्थित ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2904 क्षेत्रफल 13042.63 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 2890 क्षेत्रफल 60512.26 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 2901 क्षेत्रफल 1879.68 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 75440.57 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक क्षेत्र से वाणिज्यिक/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को विस्तृत विवरण सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
19.	210.19	प्रार्थी द्वारा सेक्टर रोड़ में आने वाले अपने रिहायशी निर्मित भूखण्ड संख्या 17-ए गणेश विहार को समर्पण के बदले अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रार्थी श्री किरोड़ी लाल मीणा की प्रश्नगत भूमि की 90बी दिनांक 25.04.2000 को होने एवं सेक्टर सड़क का अनुमोदन दिनांक 03.10.2004 को होने के कारण यह स्पष्ट है कि सेक्टर रोड की Planning 90बी होने के पश्चात की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा सेक्टर रोड़ में आने वाले अपने रिहायशी निर्मित भूखण्ड संख्या 17-ए गणेश विहार को समर्पित	उपायुक्त जोन-9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			किए जाने के बदले अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 6( )नविवि/3/07 दिनांक 30.07.15 के अनुसरण में प्रदान की गई।	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 को अपरान्ह 12:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पुरूषोत्तम बियाणी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन. सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री बृजेश किशोर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री ए. के. कुमावत	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री दीपक शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (सीडी-iv)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री डा. तेजपाल सिंह	अति. पुलिस उपायुक्त. मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एस. डी. गोड़	उपायुक्त	नगर निगम जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री गिरिराज कुमार	अति. आयुक्त (एल.पी.सी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री एम. एल. चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री देवेन्द्र कुमार	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री मधुसुधन पालीवाल	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री अशोक कुमार चौधरी	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री एस.सी. मीणा	अधीक्षण अभियन्ता-(विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री एन. के. सिंघल	अधीक्षण अभियन्ता-V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता- VI	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री अजय गर्ग	अधीक्षण अभियन्ता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
22.	श्री वेद प्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता– 12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री राम प्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता– XIII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सुरेश दत्त	अधिशाषी अभियन्ता 12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री योगेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (हाऊसिंग)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री अवधेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता–आर.ओ.बी II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता–8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री आर. के. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता–11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री जी. एल. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता–(विद्युत– II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री विनोद कृष्णया	अधिशाषी अभियन्ता–4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31.	श्री पी. के. व्यास	अधिशाषी अभियन्ता (पीआरएन नार्थ)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
32.	श्री देवेश गुप्ता	सहायक अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
33.	श्री आर. पी. जाटव	सहायक अभियन्ता (हाऊसिंग–II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
34.	श्री शासन शर्मा	सहायक नगर नियोजक–II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
35.	श्रीमति बलविन्दर कोर	सहायक नगर नियोजक–IX	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
36.	श्री अरूण कुमार	कनिष्ठ अभियंता– VIII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
37.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.210)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी–

दिनांकः

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(एस. मित्रा)
सयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(एस. मित्रा)
संयुक्त आयुक्त
(सिस्टम्स मैनेजमेंट)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- प-2(ई.सी.210)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2017/डी-983 दिनांक: 02.5.2017

शुद्धि-पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 210वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 के एजेण्डा संख्या 210.10, जो कि "Construction of road and drains in approved colonies Sanganer Zone-8 JDA Jaipur." से सम्बन्धित है, के कार्यवाही विवरण में "Construction of road and drains in approved colonies Sanganer Zone-8 JDA Jaipur." के स्थान पर सहवन से "Construction of Service road ROB Jagatpura to NRI Circle, Zone-9, JDA, Jaipur". अंकित हो गया है।

अतः ऐजण्डा संख्या 210.10 के निर्णय में "Construction of Service road ROB Jagatpura to NRI Circle, Zone-9, JDA, Jaipur". के स्थान पर "Construction of road and drains in approved colonies Sanganer Zone-8 JDA Jaipur." पढा जावें।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर, जयपुर नगर निगम।
5. जिला प्रमुख, ज़िला परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।

9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जयपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19. निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24. उपायुक्त जोन.........., जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25. सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(एस. मित्रा)
संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर